

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

**सा.का.नि. 66.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, प्रबंधक (मुद्रणालय) भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, प्रबंधक (मुद्रणालय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, प्रबंधक (मुद्रणालय) भर्ती नियम, 2014 में,-  
(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

**“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया गया है।”

(ख) अनुसूची में,-

(i) स्तंभ (4) में,-

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(आ) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु.)”

(ii) कॉलम (11) में,-

(अ) ‘प्रोन्नति’ शीर्ष के अधीन, “वेतन-बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 2800 रुपए” अक्षरों, कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रु.)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा।

(आ) प्रतिनियुक्ति शीर्ष के अधीन, “वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु.” और “वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 2800 रु.” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर क्रमशः “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)” और “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा।

**टिप्पण:** मूल नियम सा.का.नि. 5(अ) दिनांक 06 जनवरी, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 7 जनवरी, 2014 को प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. 10ए12/5/2016-एडी-IIबी]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 27<sup>th</sup> February, 2018

**G.S.R. 66.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment Rules, 2014, -
- (a) for rule 2, the following shall be substituted:
- “**2. Number of post, classification, Level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification, Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;
- (b) In the Schedule, -
- (i) in column (4), -
- (A) for the heading, the following shall be substituted, namely: -  
“Level in the pay matrix”;
- (B) for the entry, the following shall be substituted, namely: -  
“Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)”;
- (ii) in column (11), -
- (A) under the heading “Promotion”, for the letters, brackets, words and figures “PB-1 (Rs. 5200-20200/-) plus Grade Pay of Rs. 2800/-”, the words, brackets and figures “Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)” shall be substituted;
- (B) under the heading “Deputation”, for the letters, words, figures and brackets “PB-2 (Rs.9300-34800/-) plus Grade Pay of Rs. 4200/-” and “PB-1 (Rs. 5200-20,200/-) plus Grade Pay of Rs. 2800”, the words, figures and brackets “Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)” and “Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)” respectively, shall be substituted.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India dated the 7<sup>th</sup> January, 2014 *vide* G.S.R. 5(E) dated 6<sup>th</sup> January, 2014.

[F. No. 10A12/5/2016-Ad.IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

**सा.का.नि. 67.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

“**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2)से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,